UNITED BANK OF INDIA

Head Office : 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001
Tel : 033-22481054; Fax : 033-22485852, Email : co.sec@unitedbank.co.in

Board Sec/EGM/NSE/ 396 /2015

February 18, 2015

Sri. Hari K., Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051

Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Sir,

Sub: Notice of the Extraordinary General Meeting

We enclose herewith, the Notice convening the Extraordinary General Meeting (6 copies) scheduled to be held on March 13, 2015 for your perusal and records.

Thanking you,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

असाधारण आम बैठक के लिए सूचना

Notice for Extraordinary General Meeting

शुक्रवार, 13 मार्च, 2015 पूर्वाह्न 10.00 बजे

Friday, 13th March 2015 at 10.00 A.M.

सभा स्थल **AT**

भाषा भवन, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड़,
कोलकाता– 700027

Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road,
Kolkata – 700027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यलय,11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता–700001
Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
Share Department & Investor Grievance Cell:
11, हेमंत बसु सरणी, चतुर्थ तल, कोलकाता–700001.
11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700001.

वेबसाइट / Website | **www.unitedbankofindia.com**

सामग्री

पृष्ठ संख्या

नोटिस.....9

टिप्पणियां.....10

व्याख्यात्मक विवरण.....12

प्रॉक्सी का आवेदन.....15

उपस्थिति स्लिप और एंट्री पास.....17

CONTENTS

Page No.

Notice.....1

Notes.....3

Explanatory Statement.....6

Form of Proxy.....14

Attendance Slip & Entry Pass.....16

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 49 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UNITED BANK OF INDIA will be held on Friday, March 13, 2015, at 10.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Kolkata – 700027 to consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a **Special Resolution**:

"**RESOLVED THAT**, pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and United Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2010 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI (ICDR) Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot on preferential basis to the Government of India

(a) up to 23,39,18,128 equity shares of Rs.10/- each at Rs.42.75 per equity share determined in accordance with the Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, not exceeding Rs.1000cr. including premium for cash

(b) up to 12,28,60,818 equity shares of Rs.10/- each at Rs.42.75 per equity share determined in accordance with the Regulation 76(1) of the SEBI (ICDR) Regulations by conversion of 52523 PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preference Shares) of Rs.100,000/- each, being the second and the final tranche of such conversion of entire block of 80000 units PNCPS as at the beginning of the financial year,

both under Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations.

"**RESOLVED FURTHER THAT,** the Relevant Date for determination of the Preferential Issue Price is **February 11, 2015."**

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT, the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further

consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution and the delegation of all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Directors or such other officer of the Bank already approved by the Board in the matter of this preferential allotment be and is hereby ratified."

By order of the Board of Directors
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Date: February 11, 2015
Place : Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

PURSUANT TO REGULATION 62 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE BANK AT ITS SHARE DEPARTMENT & INVESTORS GRIEVANCE CELL, AT HEAD OFFICE, 11, HEMANTA BASU SARANI, 4TH FLOOR, KOLKATA – 700 001 NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING BUSINESS HOURS OF SATURDAY, MARCH 7, 2015.

However a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final. In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed. The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No person shall be appointed as a Proxy who is an employee or officer of United Bank of India.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

PURSUANT TO REGULATION 62 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER, BEING THE CENTRAL GOVERNMENT OR A COMPANY, MAY BY A RESOLUTION, AS THE CASE MAY BE, AUTHORISE ANY OF ITS OFFICIALS OR ANY OTHER PERSON TO ACT AS ITS REPRESENTATIVE AT ANY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AND THE PERSON SO AUTHORISED SHALL BE ENTITLED TO EXERCISE THE SAME POWERS ON BEHALF OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR COMPANY WHICH HE/SHE REPRESENTS AS IF HE/SHE WERE AN INDIVIDUAL SHAREHOLDER OF THE BANK.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or Company.

IN TERMS OF REGULATION 61(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, NO PERSON SHALL ATTEND OR VOTE AT ANY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE BANK AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE COMPANY UNLESS A COPY OF THE RESOLUTION APPOINTING HIM/HER AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE CERTIFIED TO BE A TRUE COPY BY THE CHAIRMAN OF THE MEETING AT WHICH IT WAS PASSED HAS BEEN DEPOSITED TO THE BANK AT ITS SHARE DEPARTMENT & INVESTORS GRIEVANCE CELL, AT HEAD OFFICE, 11, HEMANTA BASU SARANI, 4TH FLOOR, KOLKATA – 700 001 NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING BUSINESS HOURS OF SATURDAY, MARCH 7, 2015**.**

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY-PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorised Representatives of shareholders should state on their attendance slip-cum-entry-pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to –

Senior Manager, Share Department & Investors Grievance Cell, United Bank of India, Head Office, 4th Floor 11, Hementa Basu Sarani, Kolkata - 700001 or emailed to : investors@unitedbank.co.in	Link Intime India (P) Ltd. (Unit: United Bank of India) 59C, Chowringhee Road Kolkata – 700020

5. Voting Rights

Pursuant to the provision of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

6. E-Voting:

The Bank is pleased to provide E-voting facility as per Clause 35B of the Listing Agreement, through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice of the Extraordinary General Meeting dated February 11, 2015. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on February 13, 2015.

(I) The voting period begins at 10.00 hrs on Saturday, March 7, 2015 and ends at 17.00 hrs on Monday, March 9, 2015. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) i.e. February 13, 2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com during the voting period.

(iii) Click on **"Shareholders"** tab.

(iv) Now Enter your **User ID**

 a. For CDSL: **16 digits beneficiary ID**,

 b. For NSDL: **8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID**,

 c. Members holding shares in Physical Form should enter **Folio Number registered with the Company**.

(v) Next enter the **Image Verification** as displayed and Click on **Login**.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric **PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field**. • **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters**. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the **Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records** for the said demat account or folio in **dd/mm/yyyy** format.
Dividend Bank Details	Enter the **Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records** for the said demat account or folio. • Please enter the **DOB or Dividend Bank Details in order to login**. If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (vii).

(viii) After entering these details appropriately, click on "**SUBMIT**" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the **EVSN** for **United Bank of India** on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/NO"** for voting. Select the option YES or NO as desired. The option **YES** implies that you assent to the Resolution and option **NO** implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "**CONFIRM**" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) **Note for Institutional Shareholders**

Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to

https://www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details they have to create a compliance user using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under "**Help**" section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

7. Explanatory Statement Setting Out all Material Facts including Objects of the Issue:

a) The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank is Rs.716.65 Crore.

b) In 2013-14, the Bank has reported [-2.48%] growth in advances, 10.79% growth in deposits and 5.36% growth in total business. The Operating Profit, Net Profit, Risk Weighted Assets and CRAR ratios (under BASEL–III) of the Bank for the first 3 quarters are as under –

(All in INR in cr.)	June 30, 2014	September 30, 2014	December 31, 2014
Operating Profit	574	1033	1636
Net Profit	66	110	151
Risk Weighted Assets	62675	63125	63948
Tier I Capital (%)	6.62	7.18	7.21
Tier II Capital (%)	3.18	3.30	3.19
CRAR (%)	9.80	10.48	10.40

c) As per RBI guidelines on Basel-III Capital regulations, the Bank should maintain the following capital ratios under Basel-III norms by March 2019.

Srl.	Ratio	Min. Requirement
1.	Tier 1 Ratio (minimum, of which)	7.00%
	Common Equity Tier 1 (CET1) (minimum)	5.5%
	AT1 (maximum)	1.5%
2.	Tier 2 Ratio (maximum)	2.0%
3.	Total CRAR	9.0%

- Within the minimum Tier 1 ratio of 7%, AT1 ratio should be maximum 1.5% and within the minimum CRAR of 9%, Tier 2 ratio should be maximum 2.0%
- However, if the bank complies with the minimum CET1 and Tier 1 capital ratios, then the excess Additional Tier-1 (AT1) and Tier 2 capital can be admitted for computation of CRAR.
- Bank is also required to maintain a Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.5% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 Capital to be implemented from March 31, 2016 at @25% of 2.5% per year.

d) Based on the internal business projections, it has been assessed that the Bank would require additional Rs.163cr. capital as on March 31, 2015 to be able to maintain the minimum Tier 1 ratio and overall CRAR. The Bank would need further Tier-I capital to the tune of around Rs.1000cr. to achieve the projected business level for the following years.

e) Presently, the shareholding of Government of India in the Bank is 56.56 Crore constituting 78.918% of the total paid-up equity capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2014 under Basel-III was as under

Particulars (As on 31.03.14)	Amount *Rs. in Crores*	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	61007	
Tier-I Capital	3987	6.54%
Tier-II Capital	1994	3.27%
Total Capital	5981	9.81%

f) As on March 31, 2014, Capital of the Bank was at Rs.6882cr. and CRAR was 11.46% (**Tier 1–7.26%)** under **Basel-II Norms.** Under **Basel-III Norms**, Capital of the Bank was at Rs.5981cr. and CRAR 9.81% (**Tier 1– 6.54%** and **CET 6.54%)** as on **31.03.2014**.

g) The Bank is targeting to maintain CRAR at higher side of 10% (against minimum requirement of 9%) as on 31.03.2015 to ensure achievement of unhindered business growth, expansion and general lending in the remaining part of this fiscal and the coming financial years.

h) The Bank had issued 80000 Perpetual Non Convertible Cumulative Preference Shares (PNCPS) under BASEL–II regime to Government of India of Rs. 100,000/- each in 2009 & 2010. Out of which, 27,477 PNCPS were converted into 7,74,00,000 equity shares on June 23, 2014.

i) The PNCPS are devoid of the loss absorbency feature and consequently are liable to a deduction of 10% per annum. It is proposed to convert the remaining 52523 PNCPS into equity shares. By conversion of these PNCPS into equity, the Bank will get the capital benefit to the tune of Rs.158cr. in Tier-1 by March 31, 2015.

j) The Bank also proposes to issue additional equity capital up to Rs.1000cr. to the Government of India under the ongoing Bank recapitalization plan of the Central Government. If required, the Bank may also explore other options to raise equity and/or Additional Tier -1 instruments at opportune moments to ensure that the projected business growth for the next financial year remains unhindered.

k) The entire fresh equity to be allotted by conversion of PNCPS and pursuant to capital infusion shall be allotted to the Central Government, which will enable the Bank to shore up its Common Equity, Tier – I capital and overall capital adequacy and help the Bank to comply with the regulatory requirements in terms of capital adequacy and augment its resources to achieve the future growth envisaged by the Top Management of the Bank.

l) The Preferential allotment(s) of up to 35,67,78,946 equity shares in favour of the Central Government shall be made in accordance with the Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations. With the aforesaid allotment, the Central Government holding in the Bank will increase from 78.918% upto 85.925% of the total share capital.

m) The Ministry of Finance vide its letters F.No.11/17/2013 (Part – III) – BOA dated December 31, 2014 has approved conversion of existing PNCPS of Rs.525.23cr. into equity shares subject to compliance with applicable of RBI and / SEBI guidelines.

n) The Issue Price of shares to be allotted to the Central Government has been determined in accordance with Regulation 76 of SEBI (ICDR) Regulations. Considering February 11, 2015 as the Relevant Date, the Issue Price including premium is fixed at Rs. 42.75 per equity share.

o) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying the pricing and that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

p) Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on Relevant Date)		After the issue (Estimated)	
		Shares held	Shareholding Percentage	Shares to be allotted	Shareholding Percentage
A.	**Promoter's Holding**				
	Promoters				
	Government of India	565569792	78.918	922348738	85.925
B.	**Non-Promoter's Holding**	151085341	21.082	151085341	14.075
	Grand Total	716655133	**100.00**	1073434079	100.00

q) In case of full allotment pursuant to conversion as well as infusion, the shareholding of the Central Government will increase from 78.918% to 85.925% i.e. by more than 5%. The Central Government shall be under an obligation to make an open offer for acquiring shares of the minority shareholders under Regulation 3(2) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares & Takeover) Regulations 2011. The Bank on behalf of the Central Government shall approach SEBI seeking exemption from the applicability of said Regulations from the said obligation.

r) The Central Government has not sold any equity share of the Bank during six months preceding the Relevant Date.

s) The shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations are not applicable.

t) All the shares held by the Central Government are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

u) The entire pre-issue holdings of the Central Government shall be locked-in from the Relevant Date till a period of six months from the date of trading approval granted by the Stock Exchanges.

v) The fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of trading approval and fresh shares allotted beyond the aforementioned 20% shall be locked-in for 1 year from the date of trading approval.

w) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations where it is required to do.

x) As required under Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the Stock Exchanges where the Bank's Equity Shares are listed and Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to the Government of India on preferential basis.

y) For reasons aforesaid, the enabling resolutions are therefore being recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence, your consent is requested to the above proposal.

z) None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Bikramjit Shom
Company Secretary

Date : February 11, 2015
Place : Kolkata

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि (शेयर और बैठक) अधिनियम, 2010 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की एक असाधारण बैठक शुक्रवार, 13 मार्च 2015 को पूर्वाहन 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेड्रे रोड, कोलकाता–700027 में, आयोजित की जाएगी, यदि उचित समझा जाएगा, किसी संशोधन या बगैर संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित किया जाएगा ।

"संकल्प किया गया कि समय–समय पर संशोधित (विनियम), बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और युनाइटेड बैंक (शेयर और बैठक) अधिनियम, 2010 के प्रावधान के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी भी प्राधिकारी और उक्त शर्तों तथा उनके द्वारा उक्त अनुमोदन की मंजूरी से संबंधित विहित किसी संशोधन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल सहमत हो और सेवी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षा) अधिनियम, 2009 (सेवी (आईसीडीआर) विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक और समय–समय पर संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा जारी विहित विनियमन और उनके अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति के शर्ताधीन, यदि कोई है, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उक्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध करार के शर्ताधीन, बैंक के निदेशक मंडल (इसके आगे इसे "बोर्ड" कहा गया है, इस संकल्प के द्वारा सौंपे गए अधिकारों समेत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक समिति है और जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया है।) को बैंक के शेयरधारकों द्वारा दी गई सहमति से एतद् द्वारा भारत सरकार को अधिमान्य अधार पर सृजन, प्रस्ताव, और निर्गत करने के लिए सहमति प्रदान की जाती है

क) सेवी (आईसीडीआर) विनियम के विनियमन 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रत्येक रू 42.75 में रू 10/– के 233918128 तक इक्विटी शेयरों की जो नकद रू 1000 करोड़ प्रीमियम समेत से अधिक नहीं होगा।

ख) प्रत्येक रू 1000,000 के 52523 पीएनसीपीएस (बेमीयादी गैर संचयी अधिमान्य शेयर) का रुपांतरण द्वारा सेवी (आईसीडीआर) विनियम, के विनियमन 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रत्येक रू 42.75 के रू.10/– के 122860818 तक इक्विटी शेयरों की उक्त संख्या, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 80000 इकाइयों के पीएनसीपीएस का पूर्ण ब्लॉक के रुपांतरण द्वारा दूसरे और अंतिम किस्त होने के नाते,

दोनों को सेवी आईसीडीआर विनियम के भाग VII के तहत किया जाएगा।

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, अधिमान्य निर्गत दर स्थिर करने के लिए प्रासंगिक तारीख **11 फरवरी, 2015** होगी।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा बोर्ड की सहमति से ऐसा अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए अपनी अनुमति देने/मंजूर करते समय ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वार जैसे लगाया गया, अथवा अपेक्षित उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए बोर्ड की शक्ति और उसका प्राधिकार होगा।"

"पुनः संकल्प किया गया कि उक्त घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसरण में घोषित, यदि कोई है तो, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर समरूप प्रभार के वर्ग के होंगे और लाभांश के लिए हकदार होंगे ।

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड उन सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने के लिए प्राधिकृत है जो उसके स्वविवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे जाएंगे, वह किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह, जो इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, को दूर करने के लिए भी प्राधिकृत है और इसके अलावा, वह सभी कृत्यों, विलेखों और चीजों को करने और सभी प्रलेखों एवं लिखित पत्रों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो और जो उसके विवेकानुसार उपयुक्त या वांछनीय हो और जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं, या यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त तत्संबंधी अपनी सहमति प्रदान कर दी है अथवा यह मान लिया जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा व्यक्त अपनी सहमति प्रदान कर दी है।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, बोर्ड को उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए सौंपे गए अपनी समस्त या किसी एक शक्ति को और इस अधिमान आवंटन, जो एतद् द्वारा प्रमाणित है, के संबंध में बोर्ड द्वारा पहले से अनुमोदित सभी या किसी एक शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशकों या बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक के पहले से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारियों, जैसा भी उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित करने का भी प्राधिकार होगा, जिसे एतद् द्वारा अनुसमर्थन किया गया ।"

बोर्ड के आदेशानुसार
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

तारीख: 11 फरवरी, 2015
स्थान: कोलकाता

टिप्पणीयाँ:

1. **प्रतिनिधि की नियुक्ति**

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियमन 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियमन 62(II) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए। प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता 700001 में **7 मार्च, 2015 शनिवार** को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

तथापि उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा। यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियमन 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उस लिखत से संबंधित है। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं हो सकेगा।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियमन 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकारी का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों वह बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक हो।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियमन 61(II) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता–700 001 में **7 मार्च, 2015 शनिवार** को कारोबार अवधि की समाप्ति अथवा उससे **चार दिन** पहले जमा न की गई हो ।

3. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

4. **शेयरधारकों की पूछताछ**

यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न को पर्याप्त समय रहते भेज दें तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है–

वरिष्ठ प्रबंधक, शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्याल, 4था तल 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता 700001 अथवा ई–मेलः investors@unitedbank.co.in	लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि. (यूनिटः युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) 59 सी, चौरंगी रोड कोलकाता– 700020

5. **मताधिकार**

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

6. **ई–मतदान**

दिनांक 11 फरवरी, 2015 को बैंक की असाधारण आम बैठक की सूचना के अनुसार बैंक ने पहली बार अपने सभी शेयरधारकों के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रुप से मतदान करने के लिए सूचीबद्धता करार के खण्ड 35बी के अनुसार ई–मतदान की सुविधा प्रदान की है। बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामनियम एवं कंपनी., सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है। ई– मतदान वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई–मतदान अधिकार 13 फरवरी, 2015 को उनके पास रखे गए इक्विटी शेयरों के हिसाब से गिना जाएगा । ई–मतदान के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं:

(i) मतदान की अवधि 7 मार्च, 2015 शनिवार को प्रातः 10.00 बजे आरम्भ होकर 9 मार्च, 2015 सोमवार को सांय 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो शेयर भौतिक रुप में या डीमैट फॉर्म में रखे हो जिसकी निदिष्ट सीमा (रिकार्ड तारीख) 13 फरवरी, 2015 तक है, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

(ii) मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ई–मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें।

(iii) **"शेयरहोल्डर्स"** टैब पर क्लिक करें।

(iv) अपना **यूजर आईडी** दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिए: **16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी**

ख. एनएसडीएल के लिए: **8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी**

ग. भौतिक रुप में शेयर धारण किए हुए सदस्य **कंपनी द्वारा पंजीकृत फोलियों नं. दर्ज करें**

(v) अब प्रदर्शित हुए इमेज भेरीफिकेशन को दर्ज करें और लॉगइन पर क्लिक करें ।

(vi) यदि आप डीमैट के रुप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया था और इससे पहले किसी भी कंपनी की हाल ही के वोटिंग में मतदान किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(vii) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें:

	डीमैट रुप में एवं भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक **'पैन'** की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ भौतिक रुप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।** • **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें,** अर्थात् यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें ।
जन्म तिथि	आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि या फोलियो संख्या दिन/माह/वर्ष की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण या फोलियो की प्रविष्टि करें । • **लॉगिन करने के लिए जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण** की प्रविष्टि करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, कृपया अपनी सदस्यता आईडी/फोलियो सं. दिशानिर्देश (vii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें।

(viii) उचित रुप से इन ब्योरों को भरने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करें।

(ix) इसके बाद, भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु' तक पहुंच जाएंगें जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिस पर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प(ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढंता से सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की हिस्सेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत देखभाल करें।

(x) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई–मतदान के लिए किया जा सकता है।

(Xi) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए ईवीएसएम पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करने के लिए चुनते हैं।

(Xii) मतदान पृष्ठ पर, आप ''प्रस्ताव (रिजोल्यूसन) विवरण'' देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए 'हाँ/नहीं' विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है कि और विकल्प नहीं रिजोल्यूसन पर आप की असहमति का तात्पर्य है।

(Xiii) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन ब्योरा देखना चाहते हैं तो 'प्रस्ताव फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

(Xiv) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आप वोट करने का फैसला किया है, 'सबमिट' पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'ठीक है (ओके)' पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, 'रद्द (कैंसल)' पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(Xv) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट ''**पुष्टि**'' कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(Xvi) वोटिंग पृष्ठ को 'मुद्रित करने के लिए यहाँ क्लिक करें' विकल्प पर क्लिक करके, आप द्वारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं।

(Xvii) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण दर्ज करें।

(Xviii) संस्थागत शेयरधारकों के लिए नोट

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् – व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) https://www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और कॉर्पोरेट के रूप में खुद को पंजीकृत करें।
- इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे। कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओं) को लिंक सक्षम हो जाएगा, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com मेल पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पावर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

(XIX) यदि आपको या ई–वोटिंग के बारे में प्रश्न या मुद्दा हो तो आप सामन्यतः पूछे जाने वाले सवाल ('एफ ए क्यू') पर और ई–वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com के **हेल्पडेस्क** पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए evoting@cdslindia.com पर ई–मेल करें।

7. सभी तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण सहित वस्तुओं के मुद्दे :

क) बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के कारोबार में बैंक है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपए है। बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 716.65 करोड़ रुए है।

ख) वर्ष 2013–14 में बैंक ने अग्रिम में [–2.48%] वृद्धि की, 10.79% की वृद्धि जमा में और 5.36% की वृद्धि कुल व्यापार में की है। पहले 3 तिमाहियों में, बैंक का (बेसल III के तहत) परिचालन लाभ, शुद्ध लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्तियों और सीआरएआर अनुपात निम्नलिखित हैं –

(सभी भारतीय रुपयों में)	30 जून 2014	30 सितंबर 2014	31 दिसंबर 2014
परिचालन लाभ	574	1033	1636
शुद्ध लाभ	66	110	151
जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	62675	63125	63948
टीयर I पूंजी (%)	6.62	7.18	7.21
टीयर II पूंजी (%)	3.18	3.30	3.19
सीआरएआर (%)	9.80	10.48	10.40

ग) बेसल III पूंजी विनियमन पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंक को मार्च 2019 तक बेसल– III मानदंड के तहत निम्न पूंजी अनुपात बनाए रखना होगा।

क्रमांक	अनुपात	न्यूनतम अपेक्षा
1.	टीयर 1 अनुपात (न्यूनतम, जिनमें से)	7.00%
	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (सी ई टी 1) (न्यूनतम)	5.5%
	ए टी 1 (अधिकतम)	1.5%
2.	टीयर 2 अनुपात (अधिकतम)	2.0%
3.	कुल सीआरएआर	9.0%

- 7% की न्यूनतम टीयर 1 के अनुपात के भीतर, एटी 1 अनुपात अधिकतम 1.5% होना चाहिए और 9% की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर, टीयर 2 अनुपात अधिकतम 2.0% होना चाहिए।
- तथापि, यदि बैंक न्यूनतम सीईटी 1 और टीयर – 1 पूंजी अनुपात का अनुपालन करता है, तो अतिरिक्त अपर टीयर – 1 (एटी1) और टीयर 2 पूंजी को सीआरएआर की गणना के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- बैंक को आरडब्ल्यूए की 2.5% पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) का सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी के रूप में बनाए रखना आवश्यक है जो 31 मार्च 2016 से लागू किया जायेगा, 2.5% का 25% प्रति वर्ष के दर से।

घ) आंतरिक व्यापार के अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है कि न्यूनतम टीयर 1 अनुपात और कुल सीआरएआर बनाए रखने के लिए 31 मार्च 2015 तक बैंक को अतिरिक्त रु.163 करोड़ की आवश्यकता होगी। अनुमानित व्यापार के स्तर को प्राप्त करने के लिए बैंक को लगभग रु.1000 करोड़ के टीयर – 1 पूंजी की भी आवश्यकता होगी।

ड) वर्तमान में, हमारे बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 56.56 करोड़ रुपये की है, जो बैंक की कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी की 78.918% है। 31 मार्च 2014 को बेसल – III के तहत जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूंजी निधि निम्नांकित था।

ब्योरे (31.03.14 के अनुसार)	राशि रुपये, करोड़ में	जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूंजी निधि की %
जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	61007	
टीयर– I पूंजी	3987	6.54%
टीयर– II पूंजी	1994	3.27%
कुल पूंजी	5981	9.81%

च) 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, बैंक की पूंजी रु. 6882 करोड़ और सीआरएआर बेसल– II के मानदंड के तहत 11.46% **(टीयर 1 – 7.26%)** था। 31 मार्च 2014 को **बेसल– III मानदंड** के तहत, बैंक का पूंजी रु.5981 करोड़ और सीआरएआर 9.81% **(टीयर 1 – 6.54% और सीईटी 6.54%)** था।

छ) बैंक इस वित्त वर्ष में है और आने वाले समय में निर्बाध व्यापार के विकास, विस्तार और सामान्य उधार की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए 31.03.2015 तक (9% की न्यूनतम आवश्यकता के एवज में) 10% के उच्च सीआरएआर बनाए रखने के लक्षित कर रहा है।

ज) बैंक ने बेसल–द्वितीय नियम के तहत 2009 और 2010 में प्रत्येक रुपए 100,000/- को भारत सरकार के शासन में 80,000 बेमियादी अपरिवर्तनीय संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) जारी किया था। जिसमें से, प्रत्येक 27,477 (पीएनसीपीएस) को 23 जून, 2014 पर 77,400,000 इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया।

झ) पीएनसीपीएस नुकसान अवशेषी सुविधा से रहित हैं और इसके परिणामस्वरूप सालाना 10% की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं। शेष 52,523 पीएनसीपीएस को इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इक्विटी में इन पीएनसीपीएस के रूपांतरण द्वारा, 31 मार्च 2015 के टीयर – 1 में बैंक को रू. 158 करोड़ की पूंजी लाभ मिलेगा।

ञ) बैंक द्वारा केंद्र सरकार के चल रहे बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत भारत सरकार को रू.1000 करोड़ तक अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जारी करने का प्रस्ताव है। यदि आवश्यक हो, बैंक भी इक्विटी जुटाने के लिए अन्य विकल्प तलाश सकता है और/या अतिरिक्त टीयर – 1 लिखतों के लिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयुक्त क्षणों में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित व्यापार का विकास निर्बाध बना रहे।

ट) पीएनसीपीएस के रूपांतरण द्वारा समग्र नई इक्विटी आवंटित की जानी है और पूँजी बढ़ाने के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को आवंटित किया जाएगा जहाँ आम इक्विटी, टीयर – । पूँजी और समग्र पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए और पूँजी पर्याप्तता के मामले में नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की सहायता और बैंक के शीर्ष प्रबंधन द्वारा परिकल्पित भविष्य के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाएगा।

ठ) सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पक्ष में 35,67,78,946 तक इक्विटी शेयरों का अधिमान आवंटन किया जाएगा। पूर्वोक्त आवंटन के साथ बैंक में केन्द्रीय सरकार की कुल शेयर पूंजी का 78.918% से 85.925% तक की वृद्धि होगी।

ड) वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के दिशा–निर्देशों के प्रयोज्य अनुपालन के तहत अपने पत्र एफ सं. 11/17/2013 (भाग – III) – बीओए, दिनांक 31 दिसंबर, 2014 के अनुसार रू. 525.23 करोड़ की मौजूदा पीएनसीपीएस की इक्विटी शेयर में रूपांतरण का अनुमोदन किया है।

ढ) सेबी (आइसीडीआर) विनियम के विनियमन 76 के अनुसार केंद्रीय सरकार को आवंटित किये जाने वाले शेयरों का निर्गम मूल्य स्थिर किया गया है। प्रासंगिक तारीख के रूप में 11 फरवरी, 2015 को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम सहित शेयरों का निर्गम मूल्य प्रति इक्विटी शेयर रुपये 42.75, निर्धारित किया गया है ।

ण) मूल्य निर्धारण को प्रमाणित करते हुए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और उक्त विनियमन की अपेक्षा के अनुसार उक्त निर्गम को असाधारण आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

त) अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में शेयरधारिता ढ़ाँचा :

क्रम सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (विशेष तिथि से)		निर्गम के बाद (प्राक्कलित)	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित किए जाने वाले शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
क.	**प्रमोटरों की शेयरधारिता**				
	प्रमोटर्स				
	भारत सरकार	565569792	78.918	922348738	85.925
ख.	**गैर प्रमोटर्स धारिता**	151085341	21.082	151085341	14.075
	कुल योग	716655133	**100.00**	1073434079	100.00

थ) रूपांतरण के साथ–साथ पूँजी लगाने के अनुसार पूर्ण आवंटन के मामले में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता में 5% की वृद्धि होकर 78.918% से 85.925% तक हो जाएगा। सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण) अधिनियम, 2011 के विनियमन 3(2) के तहत लघु शेयरधारकों के शेयर ग्रहण करने हेतु एक खुला प्रस्ताव देने के लिए केन्द्र सरकार को करना है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से बैंक द्वारा सेबी से मिलकर उक्त विनियमन के प्रयोग की बाध्यता से छुटकारा हेतु चर्चा की गई है।

द) प्रासंगिक तारीख से पूर्व विगत 6 माह के दौरान बैंक के किसी प्रकार के ईक्विटी शेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा बिक्री नहीं की गई है।

ध) बैंक के शेयर विगत 6 महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं और तद्नुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 76(3) और 78 (5) के प्रावधान के अनुसार यह प्रयोज्य नहीं है।

न) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्तीकरण के रुप में हैं और जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उक्त स्टॉक एक्सचेंज के विनिर्दिष्ट सूचीकरण करार के इक्विटी शेयर की सूची को क्रमशः जारी रखने के लिए सभी शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

प) स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मंजूर ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से छह महीने की अवधि तक प्रासंगिक तारीख से केन्द्रीय सरकार का निर्गमपूर्व समग्र धारिता अवरुद्ध के रुप में होगा।

फ) केन्द्रीय सरकार को नए शेयरों का आवंटन बैंक की चुकता पूंजी के अधिकतम 20% तक शर्ताधीन होगा, जो 3 वर्ष के लिए अवरुद्ध रहेगा और जो पारम्परिक अनुमोदन से 1 वर्ष हेतु अवरुद्ध उपरोक्त 20% के नए शेयरों के आवंटन को छोड़कर होगा।

ब) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के प्रावधान के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना के लिए, जहां अपेक्षित है, बैंक बचन देता है।

भ) स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के भाग 23 के तहत अपेक्षित और सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के भाग VII के अन्तर्गत बैंक द्वारा अधिमान्य के आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम हेतु विशेष संकल्प के रुप में शेयरधारकों का अनुमोदन की अपेक्षा की गई है।

म) उपर्युक्त कारणों से उक्त निर्गम के संबंध में स्थिर करने हेतु बोर्ड को विवेकाधिकार तथा उसे पर्याप्त सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित संकल्पों की अनुशंसा की जा रही है। उक्त उद्देश्य के लिए एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना बैंक के लिए जरूरी है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी अनुमति हेतु अनुरोध है।

य) बैंक का कोई भी निदेशक, अपने शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, यदि कोई हो, बैंक में उपर्युक्त संकल्पों में रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/ –
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

दिनांक : 11 फरवरी, 2015,

स्थान : कोलकाता

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)	
DP ID & Client ID (If dematerialised)	

I/We_____resident(s) of _____in the district of_____in the state of_____ being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint Shri/Smt._____resident of _____in the district of _____ in the state of _____or failing him / her, Shri/ Smt. _____resident of_____ in the district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of **United Bank of India** to be held on **FRIDAY, 13th March 2015 at 10.00 A.M.** at **Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027** and at any adjournment thereof.

Please Affix Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2015.

Signature of Proxy	**Signature of First named/Sole Shareholder**

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 c) in the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the **Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors Grievance Cell, 11 Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata - 700001** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before the closing hours of the Bank on Sarurday, 7th March, 2015 (by 1.45 p.m.**)
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulation.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

प्रॉक्सी फार्म(फार्म ''बी'')

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर होना है)

पंजीकृत फोलियो (यदि अमूर्त नहीं हो)	
डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी (यदि अमूर्त हो)	

मैं/हम निवासी..... जिला राज्य..... युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतत्द्वारा श्री/श्रीमती.....निवासी.....जिला.....राज्य.....या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती.....नवासी.....जिला.....राज्य ––––– को अपने/हमारे प्रतिनिधि के रूप में दिनांक.....13 मार्च, 2015, शुक्रवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेड्रे रोड, अलीपुर, कोलकाता– 700027 एवं किसी स्थगन की स्थिति में, बैंके शेयर धारकों की होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे बदले वोट देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं।

रसीदी टिकट चिपकाएं

दिनांक..... 2015 को इस पर हस्ताक्षर किया।

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर	**पहले नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर**

नामः

पताः

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब
 - क) एक व्यक्ति के शेयरधारक के मामले में, उसके द्वारा हस्ताक्षरित/उसे या उसकी/उसके वकील द्वारा लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में, शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर रजिस्टर में पहले या उसकी/उसके वकील का जो विधिवत लिखित रूप में अधिकृत है,
 - ग) एक निगमित निकाय के मामले में विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या एक वकील द्वारा हस्ताक्षर किए गए जो लेखन में विधिवत रूप से अधिकृत है। यह नोट करना कि नियुक्त करने का संकल्प का उल्लेख किसी अधिकृत प्रतिनिधि को किया जाना बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि होने के लिए प्रमाणित एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए/शक्ति के रूप में उसे/संलग्न कर रहा है।
2. प्रॉक्सी का लिखत पर्याप्त रूप से किसी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित हो यदि जो किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसकी/उसके द्वारा लगे अंगूठे का निशान एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार आश्वासनों द्वारा या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 - क) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी (यदि कोई हो) अन्य प्राधिकरण जिसके तहत यह हस्ताक्षर किया गया है, या
 - ख) पॉवर ऑफ एटॉर्नी या प्राधिकारी का नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित की एक **प्रति, शेयर विभाग व निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय, 4था तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001** को असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले या **7 मार्च, 2015 शनिवार को, (अपराह्न 01:45) बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले** जमा किया जाना चाहिए।
4. कोई लिखत प्रॉक्सी और प्रपत्र "बी" विनियमन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत मुहर न लगी हो।
5. बैंक के पास जमा लिखत प्रॉक्सी अविकल्पी और अंतिम होगा।
6. दो वैकल्पिक के पक्ष में दी गई लिखत प्रॉक्सी के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
7. जो शेयर धारक प्रॉक्सी लिखत को निष्पादित करते है वो असाधारण आम बैठक में मतदान देने के हकदार नहीं होगा।
8. किसी भी व्यक्ति को विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक अधिकारी या एक कर्मचारी हो।

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Date: Friday, 13th March, 2015.

Time: 10.00 a.m.

Place: **Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027.**

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

United Bank of India

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			
Regd. Folio (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए)

मैं एतदद्वारा बैंक के असाधारण समान्य बैठक में उपस्थिति दर्ज करता हूं।

तारीख : 13 मार्च, 2015 शुक्रवार

समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे

स्थान : भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेड्रे रोड, अलीपुर कोलकाता– 700027

शेयरधारक / प्रॉक्सि / उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			
रजिस्टर. फोलियो नंबर (डीमैट नहीं तो)		**डीपी आईडी और ग्राहक आईडी (डीमैट हैं)**	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालयः 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001

<u>प्रवेश पत्र</u>

(बैठक के दौरान रखा जा सकता है)

शेयरधारक / प्रॉक्सि / उपस्थित प्रतिनिधि का हस्ताक्षर			
रजिस्टर. फोलियो नंबर (डीमैट नहीं तो)		**डीपी आईडी और ग्राहक आईडी (डीमैट हैं)**	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

शेयरधारक / प्रॉक्सि अथवा शेयरधारकों के अधीकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपरेक्त उपस्थिति पर्ची, बैंक में अभिलेखित अपने नमूना हस्ताक्षर सहित, प्रवेश पत्र समेत बैंक स्थल पर उपस्थित हों। फिर भी, आवश्यक होने पर प्रवेश सत्यापन / जॉच के अध्याधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची की डुप्लिकेट प्रति बैंक में प्रवेश हेतु जारी नहीं की जाएगी।

BOOK-POST/ बुक पोस्ट

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते में लौटाएं:

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिटः युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

59 – सी, चौरंगी रोड कोलकाता – 700020

If undelivered please return to:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit: United Bank of India

59C, Chowringhee Road,

Kolkata – 700020.